

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 164]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

(शुद्धि पत्र)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 202 (अ).—दिनांक 16 सितम्बर, 2013 के शहरी विकास मंत्रालय के असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2799 (अ) के हिंदी रूपांतर के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि पत्र तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है :

हिंदी रूपांतर में आरंभिक पैराग्राफों के पैरा 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जाए: "दिनांक 13.9.2013 की अधिसूचना का.आ. सं. 2759 (अ) के अधिक्रमण में उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित " संशोधनों " के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।"

[सं. के-20013/10/2007-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd January, 2014

**S.O. No. 202 (E).**—The following corrigenda is notified in Hindi version of the Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 2799 (E) dated 16th September, 2013.

2. The initial paragraphs in Hindi version from para 1 to 4 may be substituted with the following line :

"दिनांक 13.9.2013 की अधिसूचना का.आ. सं. 2759(अ) के अधिक्रमण में उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित " संशोधनों " के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।"

[No. K-20013/10/2007-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.